

कादेश न इजाजत से, जिला न्यायाधीश अर्द्ध एचएम जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
उपरोक्त संख्या 389/2024 (भाग 14 सिक्युरिटी इंटरेस्ट)  
जन्म शीतल काईनेन-101-102, प्रथम मंज, मूलान टीकर, मेखनल  
सिंहपुर के पास, वैशाली नगर, जयपुर।

प्राथी वित्तीय संस्था

कनाम

1. किशोर सिंह साखला पुत्र मन्द सिंह साखला,  
पता- फ्लॉट नम्बर 1, जगदीशपुरी, जगदम्बा नगर रोड, 80 फीट, हाईवे बाईपास, चिखरूट  
पुलिया के पास, जयपुर।  
अन्य पता- फ्लॉट नम्बर ए-12-ए, योजना नवदीप विहार, ग्राम लालपुरा, जयपुर।
2. अनिता कदर फानी किशोर सिंह साखला,  
पता- फ्लॉट नम्बर 1, योजना नवदीप विहार, लालपुरा, जयपुर।  
अन्य पता- फ्लॉट नम्बर 1, जगदीशपुरी, जगदम्बा नगर रोड, 80 फीट, हाईवे बाईपास, चिखरूट  
पुलिया के पास, जयपुर।  
अन्य पता- फ्लॉट नम्बर ए-12-ए, योजना नवदीप विहार, ग्राम लालपुरा, जयपुर।



अप्रार्थीगण  
ऋणी एवं गारन्टर

Registration under section 14 of The Securitisation and  
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security  
Interest Act, 2002

उपस्थित-श्री विक्रम सिंह, अधिवक्ता प्राथी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 19.11.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्राथी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्मुग्तान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी किशोर सिंह साखला के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लॉट नम्बर ए-12-ए, योजना नवदीप विहार, ग्राम लालपुरा, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 54.02 वर्गगज को बंधक रख कर दिनांक 30.04.2023, दिनांक 24.08.2023 को कुल राशि 34,60,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्राथी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असाफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 11.08.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय व्याज भुगतान नहीं करने पर प्राथी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का शीतल रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इत्सादुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्थान ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 34,60,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक/हाईपोथिकेशन के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 35,60,436/-रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 11.08.2024 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक/हाईपोथिकेटेड रखी गई सम्पत्ति को कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक/हाईपोथिकेटेड रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी किशोर सिंह सांखला के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति प्लॉट नम्बर ए-12-ए, योजना नवदीप विहार, ग्राम लालरपुरा, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 54.02 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से काम होकर दाखिल दफ्तर हो।
- आदेश आज दिनांक 19.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)  
जिला माजस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर